न्यायालय नायब तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

मु.नं. 21/2017

सायल		गैर सायल
राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का लूणखां	बनाम	लियाकत अली पुत्र रांझे खां जाति मुसलमान निवासी चक 7 के.एल.डी

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

-निर्णय-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का लूणखां ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि गैर सायल लियाकत अली पुत्र रांझे खां जाति मुसलमान निवासी चक 7 के.एल.डी ने कृषि वर्ष 2074 में चक 13 एलकेडी (ए) के मुरब्बा नम्बर 122/21 कि.न. 01 ता 25 = 25.00 बीघा अनकमाण्ड राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अनाधिकृत रूप से फसल खरीफ(ग्वारं) कास्त कर ली है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर सायल को तलब किया गया । नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। गैरसायल नोटिस प्राप्ति के बावजूद अनुपस्थित। गैरसायल को दिनांक 27.09.2017 को पुनः नोटिस जारी किया गया, लेकिन गैरसायल नोटिस प्राप्ति के बावजूद तारीख पेशी दिनांक 24.10.2017 को अनुपस्थित रहा। अतः इक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है।

इस प्रकार गैर सायल को उपरोक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू-राजस्व का 50 गुना 313/-अखरे तीन सौ तेरह रूपये शास्ति आरोपित कर बेदखली के आदेश पारित किये जाते है। भू.अ.निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि मौके पर खड़ी फसल को कुर्क कर कब्जा बहक सरकार लेकर निलामी की कार्यवाही कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे। बाद अनुमोदन निलामी राशि राजकोष मे जमा करावे।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली बाबत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों। इजराय पत्रावली अलग से मुर्तीब की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2017 को विस्तृत न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
नायब तहसीलदार(राजस्व)
छतरगढ़

वर्ष 2017-18 के रा.ले.स. 4
(घ) रजिस्टर के पृष्ठ संख्या... 7
के पृष्ठ पर रकम 313 ...
...के
रुपये कायम किये गये
तहसील राजस्व लेखाकार

Scanned by CamScanner